।। कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग ।।

बाजार विभाग

1.वर्ष 2015–16 होर्डिंग बोर्ड का डिमाण्ड (6 जोन)

डिमाण्ड	वसूली
21,68,968	21,68,968

2.वर्ष 2016–17 होर्डिंग बोर्ड की निविदा प्रकियाधीन है।

दिनांक 9.05.2016

बाजार अधिकारी
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय,नगर पालिक निगम,दुर्ग ।।

–:: विज्ञापन निविदा शर्ते ::–

यह कि नगर पालिक निगम द्वारा विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप विधियॉ 2010 अंतर्गत अपने प्रशासनिक अधिकारिता अंतर्गत होर्डिंग्स बोर्ड लगाने व विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए अधिकतम दर प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक ऑफर निविदा आंमत्रित करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार निविदा की शर्ते निम्नानुसार है::–

1. नीलामी / निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीकर्ता को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि जमा करना होगा।
2. निविदा खोलने के पश्चात् प्रथम अधिकतम दर एवं दूसरे अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता का अमानत राशि छोड़कर शेष निविदाकर्ता की अमानत राशि तुरंत वापस कर दी जाएगी।
3. अधिकतम दर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम,दुर्ग होगा।
4. अधिकतम दर स्वीकृति सूचना प्राप्ति के पश्चात् (01) एक माह के अंदर 50 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से जमा कर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत दर अनुसार निर्धारित समय सीमा सम्पूर्ण राशि जमा करने में असफल रहने पर जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। प्रति वर्ष विज्ञापन शुल्क माह अप्रैल में 50 प्रतिशत व शेष 50 प्रतिशत माह अक्टूबर में देय होगा। देर से भुगतान करने का 18 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
5. यह कि होर्डिंग्स को सदा अत्यंत सुरक्षित रूप में प्रदर्शित करना होगा और होर्डिंग्स को पूरी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संचालित ऐजेन्सी की होगी।
6. यह कि निगम क्षेत्र किसी भी स्थान में स्वयं के द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को किसी भी क्षति चोट या हानि, भले ही यह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई के निमित्त पर्याप्त राशि का तृतीय पक्ष का बीमा करवाना होगा।
7. उपयुक्त (6) में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान पर अपने द्वारा प्रदर्शित किसी विज्ञापन से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को होन वाली किसी प्रकार की क्षति, चोरी या हानि भले ह िवह दुर्घटना प्राकृतिक आपदा अथवा स्वयं (एजेन्सी) की असावधानी से हो, की भरवाई हेतु संपूर्ण रूप से संबंधित व्याक्ति यानि एजेन्सी दायित्वाधीन रहेगी।
8. यह कि मात्र ऐसी संख्या, स्थानों और तरीके से विज्ञापन प्रदर्शित करेंगे जैसा कि आयुक्त द्वारा विहित किया जाये तथा जिससे पैदल चलने वाले को और न यातायात में व्यवधान या परेशानी हो और नहीं उनकी रोशनी से आंखे चौधियाने व अन्य किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे तथा यदि अधीक्षक द्वारा ऐसी स्थिति पाई जाये या लिखित सूचित किया जाये तो अधीनक्षक की संतुष्टि अनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय करना अनिवार्य होगा।
9. यह कि अधीक्षक द्वारा लिखित में उपयुक्त (08) के अंतर्गत स्थित सूचित करने के उपरांत 72 घंटों के भीतर किन्ही भी कारणो से सुधारात्मक उपाय न कर पाने पर उस दोष को दूर करने अथवा होर्डिंग्स को हटा देने के लिए अधीक्षक स्वतंत्र होगा।

और इस संबंध में मांगे गये खर्च और भारित के भुगतान हेतु संबंधित व्यक्ति एजेन्सी दायित्वाधीन रहेगी।

10. यह कि, किसी स्थल पर होर्डिंग्स के प्रदर्शन करने और अथवा होर्डिंग्स लगाने हेतु कोई संरचना/ढांचा खड़ी करने से पूर्व उस भूमि/भवन के स्वामी की विशिष्टियां सुनिश्चित करेंगें और उससे लिखित में अनुमति प्राप्त करना होगा और किरायु तथा अन्य शुल्कों के निर्धारण और भुगतान के बाद ही उस पर होर्डिंग्स प्रदर्शित करने हेतु संरचना/ढांचा खड़ा करेंगं।
11. यह कि, विघुत अथवा अन्य विभाग के खंभे पर होर्डिंग्स को श्रृंखलाबद्ध रूप से लगाने संबंध में संबंधित विभाग/ प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना होगा। किराये और अन्य शुल्क यदि कोई हो तो के निधारण एवं भुगतान के बाद ही होर्डिग्स लगाना होगा।
12. यह कि, प्रदर्शित किये जाने वाले होर्डिंग्स पर किसी व्यक्ति द्वारा चिपकाये अथवा/अन्यथा विकृत किये जाने या नुकसान पहूँचाने पर निगम की जिम्मेदारी नही है तथा निगम को, इस हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस प्रकार होर्डिंग्स को विकृत करने तथा/या नुकसान पहुँचाने हेतु जिम्मेदारी व्यक्ति के खिलाफ विधि के खिलाफ विधि के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार संबंधित एजेन्सी/व्याक्ति को होगा।
13. यह कि, जब कभी अधीक्षक होर्डिंग्स के स्थल और/या उसको मजबूती देने वाले ढांचे की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश दिया जायेगा तथा संबंधित एजेन्सी/व्यक्ति को अपने व्यय पर अधीक्षक की संपूर्ण संतुष्टि अनुसार ऐसा प्रमाण – पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
14. यह कि, निगम को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमें) उप विधि, 2010 उप विधि 08 के अनुरूप जैसा कि विहित और लागू होर्डिंग्स शुल्क का भुगतान निश्चित समय के भीतर करना होगा।
15. निविदा की अवधि 5 वर्ष की होगी चार बार एक–एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा, जिसकी पृथक से स्वीकृति अनिवार्य होगी। स्वीकृत दर प्रथम वर्ष के लिए होगा। उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष स्वीकृत राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि कर विज्ञापन शुल्क देया होगा।
16. यह कि, किसी भी होर्डिंग्स को फुटपाथ पर स्थापित नहीं किया जायेगा।
17. होर्डिंग्स स्थापित करने के पूर्व स्थल के संबंध में अनुमति लेना होगा।
18. यूनीपोल, ट्रैफिक बूथ, बस स्टाफ ज्ञापन की स्वीकृत हो चुकी है। इस निविदा से मुक्त रहेंगे।
19. शराब बीड़ी, गुटखा, सिगरेट या अन्य तंबाखू उत्पादन या कोई अन्या विज्ञापन को जो कि कानून की नजर में आपत्तिजनक हो प्रदर्शित नही किया जावेगा।
20. कानूनों के अन्तर्गत निषिद्ध विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।
21. कोई भी विज्ञापन जो कि अश्लीलता प्रदर्शित करना हो वह प्रतिबंधित होगा, लगाये जाने पर संबंधित एजेन्सी उत्तरदायी होंगें अपमानजनक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।
22. यह कि, स्वीकृत होर्डिग्स संख्या के 5 (पांच) प्रतिशत होर्डिंग्स निगम को शासन/नियम के जनहित कार्यक्रम प्रचाकिरत करने हेतु स्थायी रूप से से उपलब्ध करवाने होंगे। इन होर्डिग्स पर विज्ञापन एजेन्सी द्वारा कोई व्यवसायिक विज्ञापन नहीं किये जायेंगे।